



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 जून, 2021

ज्येष्ठ 19, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या 746/सत्तर-1-2021-20(4)-2009

लखनऊ, 9 जून, 2021

अधिसूचना

प0आ0-296

चूंकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) के माध्यम से शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल सोसाइटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित, यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देती हैं।

आज्ञा से,
मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 746/LXX-1-2021-20(4)-2009, dated June 9, 2021 :

No. 746/LXX-1-2021-20(4)-2009

Dated Lucknow, June 9, 2021

WHEREAS a private University with the name of United University, Prayagraj, Uttar Pradesh sponsored by Shiv Ramdas Gulati Memorial Society, Prayagraj, Uttar Pradesh has been established *vide* the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019), as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 4 of 2021).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name United University, Prayagraj, Uttar Pradesh in Prayagraj, Uttar Pradesh.

By order,
MONIKA S. GARG,
Apar Mukhya Sachiv.